

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
38/22	212 RTA	खतौली	राज.
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सरकार	बनाम	राजेन्द्र वर्मा 2022/178	

वकील :- सूरज कुमार शेरमा आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

01/6/22	<p>सरकार जयें तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया।</p> <p>सरकार जयें तहसीलदार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विवादित आराजी ग्राम खातौली के खसरा नं. 178/33 रकबा 07.08 बीघा भूमि पर मौके एवं रिकॉर्ड की जवाब पेश होने तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी गणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विवादित आराजी का दान रहन बेचान आदि ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रति निधियो से करावे एवं विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जयें सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.06.2022 को पेश हो।</p>	
26/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। सरकार पेश करने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया।</p> <p>पत्रावली दिनांक 27/6/22 को पेश हो।</p>	
27/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शेरमा सरकार उपस्थित। प्रतिवादी गणों के नोट तालीम समान उपस्थित। तलबी हेतु तलबना आदि ही पेश करें। नोट तलबी पत्रावली दिनांक 20/7/22 को पेश हो।</p>	<p>वकील शेरमा वकील शेरमा वकील शेरमा वकील शेरमा वकील शेरमा वकील शेरमा वकील शेरमा</p>
20/7/22	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/7/22 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

20⁰¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वसुन्धरा परीकेत उपस्थित। वहां नहीं हो सकी है। समय - वादा है। वास्ते वहां पत्रावली दिनांक 3/01/23 को पेश हो। my

~~किसी~~

3⁰¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वसुन्धरा परीकेत उपस्थित। वहां नहीं हो सकी है। समय - वादा है। वास्ते वहां पत्रावली दिनांक 9/01/23 को पेश हो। my

09⁰¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वसुन्धरा परीकेत उपस्थित। वासी तहसील का इकाई अवकाश पर होने के कारण उनके द्वारा लिखित बयान जो मकरलाल नगर साहित्य मानसंगे LR शाखा तहसील कार्यालय इकाई के द्वारा निजवापी गई जो मूल वाद के साथ संलग्न है। बयान नहीं हो सकी। वास्ते वहां पत्रावली दिनांक 16.01.2023 को पेश हो। my

44
9.1.23

16⁰¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वसुन्धरा परीकेत उपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। उक्त प्रकरण के कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के कार्रवाई इती स्तर पर होप की जाती है। पत्रावली फौजाल सुगर होकर साहित्य इकाई हो। my

सपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)